IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा के आधारिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का एक अध्ययन

सृष्टि सिंह* एवं डॉ० ओम पाल सिंह**

*शोध अभ्यर्थी , शिक्षाशास्त्र विभाग, डी० ए० वी० कॉलेज, सिविल लाइन्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

**आचार्य शिक्षाशास्त्र विभाग , डी० ए० वी० कॉलेज, सिविल लाइन्स, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र में मुख्यतः चुनौतियों के अध्ययन की बात की गयी है। चुनौतियाँ - क्या होती है? चुनौतियाँ - यदि इस शब्द पर विचार करें तो हम पाते हैं कि वे परिस्थितियाँ जो लक्ष्य प्राप्ति की गति को घटा दें, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो "वे परिस्थितियां जो लक्ष्य प्राप्ति में लगने वाले समय को बढ़ा दे उन्हें चुनौतियाँ कहते हैं " वे परिस्थितियां चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के फलस्वरूप शिक्षकों के समक्ष क्या - क्या चुनौतियाँ हैं, जो लक्ष्यों को प्रभावित कर सकती हैं - कारण एवं संभावित उपायों हेतु अध्ययन प्रस्तावित किया गया है। अध्ययन हेतु आधारिक स्तर से सम्बंधित विद्यालय तथा उनमे कार्यरत शिक्षकों को शामिल किया गया है। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चुनौती मापनी का निर्माण किया गया है। जिसके आधार पर शिक्षकों से शोध आंकड़ों को एकत्रित किया गया है।

संकेत शब्द - चुनौतियाँ, आधारिक स्तर

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से हमारे देश के शैक्षिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। इसके महत्वपूर्ण घटकों में विद्यालयी शिक्षा का आधारिक स्तर है जिसका उद्देश्य छात्रों के मूलभूत कौशल और ज्ञान का पोषण करना है। जैसे-जैसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आधारिक स्तर के वर्तमान स्वरूप को समझते हैं, इसकी प्रभावकारिता का आकलन करना और इसके क्रियान्वयन में शिक्षकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का निराकरण करना अनिवार्य हो जाता है।

प्रस्तुत शोध पत्र शिक्षा के आधारिक स्तर के कार्यान्वयन और परिणामों की जांच करने, इसकी ताकत और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों पर प्रकाश डालने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रतिपालन हेतु, शिक्षा के चरणों में जो परिवर्तन किए गए हैं उसे समझना आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों को भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में स्वीकृत किया गया है। अलग-अलग प्रांतों ने शिक्षा नीति 2020 को अलग-अलग तिथियों एवं वर्षों में स्वीकृत किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नव वर्ष 2022 से इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

शोध अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व

प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पूर्व के 10+2 के विभाजन को परिवर्तित करके नई शिक्षा नीति 2020 में 5 + 3 + 3 + 4 का नया स्वरूप दिया गया है। पूर्व शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षार्थियों को 6+ आयु वर्ग में प्रवेश दिया जाता था, परंतु विभिन्न शोधों के निष्कर्ष द्वारा ऐसा माना गया है कि 6 वर्ष तक की आयु तक छात्रों के मस्तिष्क का लगभग 85% विकास पूरा हो चुका होता है। इसीलिए इस उम्र में पोषण के साथ-साथ विद्यालय हेतु पूर्व तैयारी की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पंचवर्षीय आधारिक चरण का प्रावधान किया गया है, ताकि छात्रों का शारीरिक बौद्धिक, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास सुगमता के साथ हो सके।

पंचवर्षीय आधारिक चरण जिसमें तीन वर्षीय 3 + 4 + 5 + आयु वर्ग हेतु बालवाटिका एवं 6 + 7 + आयु वर्ग हेतु कक्षा 1 एवं कक्षा 2 को सम्मिलित किया गया है। बालवाटिका और द्वि वर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा को मिलाकर इसे शिक्षा का आधारिक स्तर या मौलिक चरण कहा गया है। प्रस्तुत शोध पत्र जिसका शीर्षक "राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 : शिक्षा के आधारिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का अध्ययन" में आधारिक स्तर से संबंधित अध्यापकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का अध्ययन किया गया है, क्योंकि अध्यापकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों के समाधान कर देने से ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की प्राप्ति संभव है।

समस्या कथन

प्रस्तुत अध्ययन का समस्या कथन है-

" राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: शिक्षा के आधारिक स्तर पर शिक्षकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का एक अध्ययन"

शोध अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का निर्धारण निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है-

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रमुख प्रावधानों और विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर के लिए इसके महत्व को समझना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण करना और शिक्षा की गुणवत्ता पर उनके प्रभाव का मूल्यांकन करना।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विद्यालय शिक्षा के आधारिक स्तर के कार्यान्वयन में शिक्षकों के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों के निराकरण हेतु सम्यक साधन या उपाय का सुझाव देना।

शोध अध्ययन की परिकल्पनाएं

प्रस्तावित शोध उद्देश्यों के प्राप्ति हेतु निम्नलिखित शोध परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया है-

- शोध अध्ययन द्वारा चिन्हित चुनौतियों का समाधान कर देने से विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर पर शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य करने में सहायता प्राप्त होगी।
- शोध अध्ययन के परिणाम, विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर से संबंधित शिक्षकों की चुनौतियों के प्रति, संबंधित अन्य हितधारकों एवं समाज को जागरूक करने में सफल सिद्ध होंगे।
- प्रस्तुत शोध अध्ययन के परिणाम नीति निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट करने में सफल सिद्ध होंगे।

शोध न्यादर्श एवं चयन विधि

सरल यादृच्छिक विधि के द्वारा शोध अध्ययन से संबंधित विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर के केंद्रों का चयन किया गया है। जिसमें शोध जनसंख्या से 15% विद्यालयी शिक्षा के आधारिक स्तर के विद्यालयों से शिक्षकों को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है।

शोध उपकरण

प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षकों के मत को जानने हेतु शिक्षक मतमापनी का प्रयोग किया गया है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध पत्र हेतु सर्वेक्षण शोध सांख्यिकीय विधि का प्रयोग किया गया है।

शोध प्रदत्तों का संकलन

शोध उपकरण मतमापनी के प्रयोग से शिक्षकों से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित किया गया है। चार बिंदु मतमापनी द्वारा उनके मत प्राप्त किए गए हैं, एवं बातचीत के आधार पर भी उनके मत जानने का प्रयास किया गया है, जिसे तत्पश्चात अंकित कर लिया गया है।

शोध प्रदत्त विश्लेषन

प्रस्तुत शोध पत्र के अध्ययन हेतु मत मापनी द्वारा प्राप्त प्राप्तांकों का विश्लेषण सारिणी बनाकर प्रतिशत सांख्यिकीय विधि द्वारा किया गया है।

शोध परिणाम निष्कर्ष एवं व्याख्या

परिणामों की प्राप्ति के लिए प्राप्तांकों का विश्लेषण प्रतिदर्श के आंकड़ों के आधार पर तालिका द्वारा समझा जा सकता है-

तालिका संख्या 1.1:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों के मतानुसार शिक्षक उपलब्धता की स्थिति सम्बन्धी सारिणी।

संख्या	दो शिक्षक द्वारा	एक शिक्षक द्वारा	शिक्षामित्र द्वारा	आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा
अंक	53	92	10	0
प्रतिशत	34.19	59.35	6.45	0

तालिका संख्या 1.1 में कक्षा 1 एवं 2 के छात्रों को पढ़ाने हेतु कक्षा में शिक्षकों की उपलब्धता की स्थिति को दर्शाया गया है, शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 59.35% शिक्षकों ने स्वीकार किया है की एक ही शिक्षक द्वारा दोनों कक्षाओं में एकसाथ शिक्षण कार्य किया जा रहा है। 34.19% शिक्षकों ने स्वीकार किया है की दो शिक्षक अलग अलग दोनों कक्षाओं में शिक्षण कार्य करते है जबकि 6.45% शिक्षकों ने बताया है की कक्षा 1 एवं कक्षा 2 के शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं , शिक्षण कार्य शिक्षामित्र द्वारा किया जारहा है। बालवाटिका के छात्रों हेतु उन्ही शिक्षकों में से एक शिक्षक को नोडल शिक्षक के रूप में पर्यवेक्षण तथा सह शिक्षण किया जाता है

निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है की प्रत्येक कक्षा में शिक्षण कार्य हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं है जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को प्राप्त करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। बालवाटिका की तीन कक्षाओं (6 +,7 +,8 + आयुवर्ग) एवं कक्षा 1 एवं 2 के लिए प्रत्येक कक्षा हेतु एक शिक्षक होना आवश्यक है जिससे की बच्चों की मनोवैज्ञानिक समझ एवं नवीन शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण कार्य किया जा सके ।शिक्षकों की नियुक्ति छात्र संख्या के आधार पर किया जाना, कक्षा कक्षों के आधार पर शिक्षण कार्य किए जाने की अवधारणा को प्रभावित करता है, छात्रों को मनोवैज्ञानिक ढंग से पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा देने हेतु प्रत्येक कक्षा हेतु 1 शिक्षक होना अनिवार्य है जिससे वादन एवं पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों की शिक्षा दी जा सके। जबकि वर्तमान में भी एक ही शिक्षक द्वारा समस्त कक्षाओं में शिक्षण कार्य करने की व्यवस्था है, जिससे शिक्षकों में शिक्षण कार्य एक खानापूर्ति मात्र होकर रह जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों को पूरा करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है।

तालिका संख्या 1.2:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों के मतानुसार शिक्षक-अभिभावक बैठक में अभिभावकों की सहभागिता की स्थिति संबंधी सारणी।

संख्या	100%	75%	50%	25% से कम
अंक	4	68	81	2
प्रतिशत	2.56	43.58	51.92	1.28

सारणी संख्या 1.2 में शिक्षक-अभिभावक बैठक में अभिभावकों की सहभागिता की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 2.56% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि 100% अभिभावक, मीटिंग में सहभाग करते हैं जबकि 43.58% शिक्षकों ने ही माना है कि 75% मीटिंग में सहभाग करते हैं। कुल प्रतिदर्श में से 51.92% शिक्षकों ने दर्शाया है कि 50% अभिभावक, मीटिंग में सहभाग करते हैं एवं 1.28% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि 25% से कम अभिभावक मीटिंग में सहभाग करते हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि, अभिभावकों में जागरूकता की कमी है एवं व्यक्तिगत कारणों (व्यवसाय व कृषि आदि) से विद्यालय मीटिंग में सदैव उपस्थित नहीं होते हैं।

तालिका संख्या 1.3:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत अन्य प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के फलस्वरूप शिक्षण कार्य में पड़ने वाले प्रभाव संबंधी सारणी।

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	133	16	5	1
प्रतिशत	85.80	10.32	3.22	0.64

तालिका संख्या 1.3 में शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के फलस्वरूप शिक्षण कार्य में पड़ने वाले प्रभाव को प्रतिदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 85.80% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन के फलस्वरूप शिक्षण कार्य सदैव प्रभावित होता है, जबकि कुल प्रतिदर्श में से 10.32% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि प्रायः शिक्षण कार्य प्रभावित होता है। 3.22% शिक्षकों में स्वीकार किया है कि शिक्षण कार्य कभी-कभी प्रवाहित होता है एवं 0.64% शिक्षकों में स्वीकार किया है कि शिक्षण कार्य कभी नहीं प्रवाहित होता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक कार्य लिया जाना सदैव उनके शिक्षण कार्य को प्रभावित करता है, जिसका मनोवैज्ञानिक दबाव शिक्षकों की कार्यशैली पर प्रभाव डालता है।

तालिका संख्या 1.4:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत विद्यालय के उत्तम संचालन एवं समुचित व्यवस्था हेतु शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी सारणी।

संख्या	कक्षाओं की संख्या के आधार पर	छात्र संख्या के आधार पर	विद्यालय की मुख्यालय से दूरी क आधार पर	कह नहीं सकते
अंक	128	16	11	0
प्रतिशत	82.58	10.32	7.09	0

सारणी संख्या 1.4 में शिक्षकों के मतानुसार विद्यालय के उत्तम संचालन एवं संकुचित व्यवस्था हेतु शिक्षकों की नियुक्ति किस आधार पर की जानी चाहिए प्रश्न को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 82.58% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि शिक्षकों की

नियुक्ति कक्षा कक्ष की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए, वहीं 10.32% शिक्षकों ने माना है कि छात्रों की संख्या के आधार पर की जानी चाहिए एवं लगभग 7.09% शिक्षकों ने यह माना है कि विद्यालय के मुख्यालय से दूरी के आधार पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

अतः अधिकांशत शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि पाठ्यक्रम के आधार पर मनोवैज्ञानिक ढंग से पढ़ाने हेतु प्रत्येक कक्षा हेतु 1 शिक्षक अनिवार्य है। एक शिक्षक जब एक साथ एक से अधिक कक्षाओं का संचालन करता है, जिसमें भिन्न-भिन्न आयुवर्ग के छात्र होते हैं तो एक समान रूप से, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देना चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है।

तालिका संख्या 1.5:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत प्रत्येक कक्षा हेतु कक्षा-कक्ष की स्थिति संबंधी सारणी।

संख्या	**प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्ष**	**दो कक्षाएं एक कक्षा कक्ष में संचालित की जा सकती हैं**	**कक्षा कक्ष छात्र संख्या के आधार पर होने चाहिए**	**कह नहीं सकते**
अंक	141	1	13	0
प्रतिशत	90.38	0.64	8.33	0

सारणी संख्या 1.5 में शिक्षकों के मतानुसार प्रत्येक कक्षा हेतु कक्षा कक्ष की स्थिति कैसी होनी चाहिए विषयक प्रश्न को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 90.38% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्षा-कक्ष का होना आवश्यक है। जबकि 0.64% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि दो कक्षाएं एक साथ ही कक्षा में संचालित की जा सकती है एवं 0.33% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि कक्षा-कक्ष छात्रों की संख्या के अनुरूप होने चाहिए।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अधिकांशत शिक्षकों की दृष्टि में प्रत्येक कक्षा हेतु एक कक्षा का होना अनिवार्य है, जिससे छात्रों का पठन-पाठन मनोवैज्ञानिक ढंग से सुचारु हो सके।

तालिका संख्या 1.6:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत माता उन्मुखीकरण बैठकों में माताओं की सहभागिता की स्थिति संबंधी सारणी।

संख्या	**100%**	**75% से कम**	**50% से कम**	**25% से कम**
अंक	14	102	36	3
प्रतिशत	9.03	65.80	23.22	1.92

सारणी संख्या 1.6 में शिक्षकों के मतानुसार उन्मुखीकरण बैठकों में माताओं की सहभागिता की स्थिति का क्या प्रतिशत रहता है इससे संबंधित सारणी को प्रस्तुत किया गया है। जिसमें शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से लगभग 9.03% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि सभी 100% माताए उन्मुखीकरण बैठकों में प्रतिभाग करती हैं। 65.80% शिक्षकों ने माना है कि 75% से कम माताएं बैठक में उपस्थित होती हैं एवं 23.22% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि 50% से कम माताएं बैठक में उपस्थित होती हैं, जबकि 1.92% शिक्षकों ने स्वीकार किया है की माता उन्मुखीकरण में माताओं की उपस्थिति 25% से कम होती है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आधारिक शिक्षा जहां शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों की माता माताओं का उनके पाल्यों की शिक्षा के प्रति जागरूक होना अति आवश्यक है, जिसके लिए माता उन्मुखीकरण बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, अतः परस्पर संवाद करके 100% प्रतिशत उपस्थिति को सुलभ करना शिक्षकों के लिए चुनौती पूर्ण है।

तालिका संख्या 1.7:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु आंगनवाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम शिक्षा प्रशिक्षण की अनिवार्यता संबंधी सारणी।

संख्या	पूर्णतः सहमत	सहमत	असहमत	पूर्णतः असहमत
अंक	117	36	2	0
प्रतिशत	75	23.07	1.28	0

सारणी संख्या 1.7 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभूत बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु आंगनवाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम शिक्षा स्नातक एवं NTT प्रशिक्षण की अनिवार्यता संबंधी स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 75% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि वे बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु आंगनबाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम शिक्षा स्नातक एवं NTT प्रशिक्षण की अनिवार्यता से पूर्णतः सहमत है जबकि 23.07% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि वह सहमत है। 1.28% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि वे बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु आंगनबाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम शिक्षा स्नातक एवं NTT प्रशिक्षण की अनिवार्यता से असहमत है, जबकि पूर्णतः असहमत के लिए किसी भी शिक्षक ने अपना मत व्यक्त नहीं किया है।

अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है की बालवाटिका के छात्रों के शिक्षण कार्य हेतु आंगनवाड़ी सहायिकाओं की न्यूनतम शिक्षा स्नातक एवं NTT प्रशिक्षण की अनिवार्य होना चाहिए।

तालिका संख्या 1.8:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों के मतानुसार नीति और पाठ्यक्रम में हुए बदलावों को समझने और उनके साथ तालमेल बैठाने को लेकर अभिभावकों में जागरूकता संबंधी सारणी।

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	56	69	30	0
प्रतिशत	73.71	25	0.64	0

सारणी संख्या 1.8 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों के मतानुसार के पाठ्यक्रम में हुए बदलावों को समझने और उनके साथ तालमेल बैठाने को लेकर अभिभावकों में जागरूकता को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 73.71% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण प्रक्रिया में हुए बदलावों को समझने एवं उनके साथ तालमेल बैठाने में अभिभावक सदैव असहज रहते हैं। 25% प्रतिशत शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि अभिभावक प्रायः असहज रहते हैं जबकी 0.64% शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि अभिभावक कभी-कभी रहते हैं। जबकि कभी नहीं के पक्ष में किसी भी शिक्षक ने प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पाठ्यक्रम एवं बाल वाटिका जैसे नवीन प्रयोगों को अभिभावक समझ नहीं पा रहे हैं। जिसके लिए माता उन्मुखीकरण बैठकें एवं प्रबंध समिति की बैठकों में जागरूकता हेतु शिक्षकों की ओर से सतत प्रयास किये जा रहे हैं। पहले प्रेरणा, फिर निपुण, बालवाटिका आदि कार्यक्रमों के प्रति अभिभावकों में धीरे-धीरे जागरूकता आ रही है।

तालिका संख्या 1.9:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत आधारिक स्तर के विद्यालयों में विद्युत जैसी बुनियादी एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति संबंधी सारणी।

संख्या	दृढ़तापूर्वक सहमत	सहमत	असहमत	दृढ़तापूर्वक असहमत
अंक	72	66	17	0
प्रतिशत	46.15	42.30	10.89	0

सारणी संख्या 1.9 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत विद्युत जैसी बुनियादी एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 46.15% शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है कि विद्युत जैसी बुनियादी एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अपर्याप्त है, इस बात से वे पूर्णतः सहमत है। जबकि 42.30% शिक्षकों ने माना है कि वे अधिकांशतः सहमत है। केवल 10.89% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि उनके विद्यालय में बुनियादी डिजिटल संसाधन अपर्याप्त है, इस बात से वे प्रायः सहमत है। दृढ़तापूर्वक असहमत के पक्ष में के पक्ष में किसी भी शिक्षक ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है।

अतः यह निष्कर्ष निकला जा सकता है की अधिकांशतः शिक्षकों ने यह स्वीकार किया है की विद्युत् जैसी बुनियादी एवं डिजिटल संसाधनों की उपलब्धता अपर्याप्त है।

तालिका संख्या 1.10:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षकों द्वारा अनुभूत विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संबंधी सारणी।

संख्या	सदैव	प्रायः	कभी-कभी	कभी नहीं
अंक	90	43	21	1
प्रतिशत	57.69	27.56	13.46	0.64

सारणी संख्या 1.10 में विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में शिक्षकों द्वारा अनुभूत चुनौतियों का सामना करने की वर्तमान स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 57.69 % शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि विद्यालय परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उन्हें चुनौतियों का सामना सदैव करना पड़ता है। 27.56% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि प्रायः चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 13.46% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि कभी-कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मात्र 0.64% शिक्षकों ने स्वीकार किया है कि उन्हें विद्यालय की सुरक्षा सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना कभी नहीं करना पड़ता है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विद्यालय परिसर एवं विद्यालय के अंदर रखे सामान की सुरक्षा शिक्षकों के एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

तालिका संख्या 1.11:

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में शिक्षक द्वारा अनुभूत विद्यालय की स्वच्छता हेतु ग्राम सफाई कर्मचारी की उपस्थिति संबंधी सारणी।

संख्या	प्रतिदिन होती है	सप्ताह में एक दिन होती है	दो सप्ताह में एक दिन होती है	कभी-कभी
अंक	16	39	75	25
प्रतिशत	10.25	25	48.07	16.02

सारणी संख्या 1.11 में शिक्षकों के अनुभव के आधार पर विद्यालय की स्वच्छता हेतु ग्राम सफाई कर्मचारी के उपस्थित होने की स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। शिक्षकों के कुल प्रतिदर्श में से 10.25% शिक्षकों ने स्वीकार किया है की सफाई कर्मचारी प्रतिदिन सफाई करने हेतु आते है। 25% ने स्वीकार किया है की वे सप्ताह में एक दिन उपस्थित होते है। 48.07% ने स्वीकार किया है की दो सप्ताह में एक दिन उपस्थित होते हैं। 16.02% शिक्षकों ने स्वीकार किया है की विद्यालय की स्वच्छता व्यवस्था हेतु ग्राम सफाई कर्मचारी कभी-कभी आते है।

अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है की ग्राम सफाई कर्मचारी विद्यालय में प्रतिदिन उपस्थित नहीं होते है जिससे विद्यालय की स्वच्छता सुनिश्चित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इसके अतिरिक्त शौचालय आदि की स्वच्छता शिक्षकों के समक्ष एक गंभीर समस्या बन जाती है।

चुनौतियाँ

आंकड़ों के आधार पर विभिन्न चुनौतियाँ जो शिक्षकों ने अपने अपने अनुभव के आधार पर व्यक्त निम्नलिखित है:

- शिक्षकों की उपलब्धता कक्षाओं के आधार पर न होकर छात्र संख्या के आधार पर होना।
- मनरेगा या कृषि कार्यो में संलग्नता अधिक होने के कारण अभिभावकों से वांछित सहयोग न मिल पाना।
- शिक्षकों द्वारा दिए गए सुझावों को अभिभावकों द्वारा गंभीरता से न लिया जाना।
- अन्य प्रशाशनिक कार्यो के निर्वाहन से शिक्षण कार्य का प्रभावित होना।
- प्राथमिक विद्यालय की कक्षाओं का संचालन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत ही कब तक उतने ही मानकों के अनुसार किया जाना उचित है,यदि बुनियादी संसाधन नहीं होंगे तो छात्र कैसे पढ़ेंगे।
- RTE एक्ट के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है जबकि शिक्षकों के समक्ष प्राइवेट स्कूलों से प्रतिस्पर्धा कर पाना एक बड़ी चुनौती है, जबकि भेदभाव का सामाजिक आधार जातिगत न होकर आर्थिक हो गया है।
- विद्यालय परिसर की सुरक्षा एवं स्वच्छता से संघर्ष करता प्राथमिक शिक्षक , उसके लिए शिक्षण कार्य प्रसन्नता कम खिन्नता अधिक देता है।
- आंगनवाड़ी से सामंजस्य बैठाकर बालवाटिका चलाना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है।

सुझाव

- 14 वर्ष तक के बालक एवं बालिकाओं हेतु शिक्षा निःशुल्क है तो प्राइवेट संस्थानों को सरकारी किया जा सकता है।
- आधारिक शिक्षा हेतु कक्षावार कक्षा-कक्ष एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- B.Ed व बीटीसी के छात्र, जो प्राथमिक शिक्षक बनने या प्राथमिक शिक्षा से संबंधित शोध करने के इच्छुक हों उन्हें प्राथमिक विद्यालयों में ही इंटर्नशिप में भेजा जा सकता है।
- इंटर्न छात्रों को विद्यालय में इस प्रकार समायोजित किया जाए कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में बाल्य देखभाल अवकाश, अथवा मातृत्व अवकाश अथवा मेडिकल अवकाश के समय कोई भी कक्षा रिक्त ना रहे, इंटर्न छात्रों का यह समय उनके शैक्षिक अनुभव में जोड़ा जा सकता है।
- प्राथमिक शिक्षकों को भी माध्यमिक एवं उच्च विश्वविद्यालय शिक्षकों की तरह ही अध्ययन तथा शोध कार्यों हेतु अवकाश एवं प्रोत्साहन दिया जा सकता है।
- दूरवर्ती क्षेत्रों में आवागमन हेतु शिक्षकों को परिवहन उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों को समय से पहुंचने के दबाव से मुक्ति मिले एवं दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है।
- प्रतिवर्ष विद्यालय भवनों एवं संसाधनों की मॉनिटरिंग हेतु कमेटी बनाई जाए, सम्बंधित कर्मचारी इंजीनियर आदि शामिल हों व उनकी प्रतिबद्धता सुनिश्चित की जा सकती है।
- MDM में बांटे जाने वाली प्रत्येक सामग्री को विद्यालय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी शिक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य विभाग की होनी चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा सकते हैं।
- प्रत्येक विद्यालय में सफाई कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की प्रतिदिन उपस्थिति को अनिवार्य किया जा सकते हैं।
- शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के प्रशासनिक कार्यों से, तत्काल प्रभाव से मुक्त कर देना चाहिए एवं छात्रों के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सकता हैं।
- पूर्व संरचना 10+2 के स्थान पर 5 + 3 + 3 + 4 की अवधारणा को लागू करने हेतु हमें शुरुआती 5 वर्ष जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है की संरचना में अध्यापन व पोषण, के महत्त्व को समझते हुए संपूर्ण जिम्मेदारी किसी एक विभाग को ही सौपी जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा सकते हैं।

- वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक एक किलोमीटर में हमारे पास तीन कमरों के प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जहां बालवाटिका या आधारिक स्तर के फाऊंडेशनल स्कूल यदि संचालित किए जाते हैं तो कक्षा 3 ,4 एवं 5 हेतु, निकटस्थ विद्यालय पहुंचाने के लिए वाहन की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा सकते हैं।
- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विद्यालयों की सूची बनाकर उन्हें तत्काल मदद हेतु कमेटी एवं फंड की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस सम्बन्ध में प्रयास किये जा सकते हैं।
- प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के बारे में पूर्व में कहा जाता था कि उनकी पहचान है पुराना कुर्ता, टूटी साइकिल, फटी हुई चप्पल , जब वेतन बढ़ाई गई तो आर्थिक स्थिति सुधर गई, पर साथ ही निजीकरण के चलते उसका विद्यालय, उसकी आत्मा शनैः-शनैः रुग्ण होती चली गई, एवं स्थिति बद से बदतर हो गई। अधिकांश मेहनतकश अध्यापक तो विद्यालय की बदहाल स्थिति एवं स्वयं की कुंठा को स्वीकारते एवं जूझते हुए स्वतः अपनी सेवाएं BLO एवं अन्यत्र कहीं विभागीय कार्यों में देने लगते है। शिक्षक वेतन को घर चलाने का साधन एवं व्यवस्था को भगवान के सहारे छोड़ने को मजबूर है। अतः उपरोक्त समस्याओं के निवारण हेतु शीघ्र उपाय किये जा सकते है।

संदर्भ- ग्रंथ सूची

1. एलिया, एल.ए., फैब्रिया, एम.एफ., रोल्डन, आर.डी.ए., और फारूकी, ए.जेड. (2020)। शिक्षकोंकी कोविड-19 जागरूकता, दूरस्थ शिक्षा शिक्षा के अनुभव और संस्थागत तत्परता और चुनौतियों के प्रति धारणाएँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लर्निंग, टीचिंग एंड जुकेशनल रिसर्च, 19(6), 127-144।
2. गुप्ता, पी. (2021)। प्रारम्भिक बचपन शिक्षा में समानता और पहुंच: एनईपी 2020 और पिछली नीतियों का एक तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक शिक्षा जर्नल, 18(2), 201-215।
3. जॉनसन, बी., और जैक्सन, सी. (2020)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में चुनौतियाँ और अवसर: शिक्षकों के दृष्टिकोण। शैक्षिक नेतृत्व त्रैमासिक, 42(3), 289-305।
4. जोन्स, एल. (2017)। नीति प्रभावशीलता का मूल्यांकन: प्रारम्भिक बचपन शिक्षा सुधारों का एक केस अध्ययन। शैक्षिक मूल्यांकन और नीति विश्लेषण, 38(4), 467-482।
5. कल्याणी, पी. (2020). भारतीय शिक्षा प्रणाली के भविष्य और हितधारकों पर इसके प्रभावों के विशेष संदर्भ में एनईपी 2020 [राष्ट्रीय शिक्षा नीति] पर एक अनुभवजन्य अध्ययन। जर्नल ऑफ मैनेजमेंट इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 7(5), 1-17।
6. कौर, जी., और सिंह, एम. (2020)। नीति विश्लेषण: प्रारम्भिक बचपन शिक्षा के लिए एनईपी 2020 के निहितार्थ को समझना। शैक्षिक नीति विश्लेषण पुरालेख, 28(3), 301-315।
7. मिश्रा, पी. (2021)। प्रारम्भिक बचपन शिक्षा को मजबूत करना: एनईपी 2020 की समीक्षा। प्रारम्भिक वर्ष शिक्षा जर्नल, 12(4), 401-415।
8. मिश्रा, आर., और शर्मा, एस. (2019)। नीति कार्यान्वयन में हितधारकों की भूमिका की जांच: शैक्षिक सुधारों से सबक। जर्नल ऑफ पब्लिक पॉलिसी, 30(3), 321-335।
9. पटेल, आर.के. (2020)। एनईपी 2020 के संदर्भ में प्रारम्भिक बचपन की शिक्षा: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट, 25(4), 567-582।
10. शर्मा, आर. (2018)। प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा में पाठ्यचर्या विकास पर परिप्रेक्ष्य: एक तुलनात्मक विश्लेषण। पाठ्यचर्या पूछताछ, 24(1), 89-104।
11. स्मिथ, ए. (2021)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को समझना: मौलिक चरण के लिए निहितार्थ। जर्नल ऑफ एजुकेशनल पॉलिसी, 15(2), 123-137।